रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY 27 NOV 1972 GOVT OF INDIA

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 254] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 6, 1972/आश्विन 14, 1894

No. 254] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 6, 1972/ASVINA 14, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October 1972

G.S.R. 428(E).—In exercise of the powers conferred by Section 12A of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby specifies the Fertiliser (Control) Order, 1957 issued under Section 3 of the said Act, to be a special order for purposes of summary trial under the said Section 12A.

[No. 1-33/71-MPRSTU.]

KUMARI ANNA R. GEORGE, Jt. Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 1972

सा० का० नि० 428 (अ)—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 12क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन जारी किए गए उर्वरक (नियन्त्रण) आदेश, 1957 को उक्त धारा 12क के अधीन संक्षिप्त विचारण के प्रयोजनों के लिए विशेष आदेश के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० 1-33/71-एम पी आर एम टी यू]

कुमारी अन्ना आर० जार्ज, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972